(Authoritative English text of this Department Notification No. STE-F(4)-1/2017-loose dated 29-03-2025 as required under clause 3 of article 348 of the Constitution of India.

Government of Himachal Pradesh
Department of Environment, Sci.,Tech. & Climate Change

No. STE-F (4)-1/2017-L Dated: Shimla-2 29 March, 2025.

NOTIFICATION

WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 3-A of the H.P. Non- Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 and in pursuance to the amended definition of *'non-biodegradable material'* as specified in the section 2, clause (ee) of the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Amendment Act, 2023, has imposed ban vide notification of even number dated 21-01-2025 on certain one time use plastic (Single Use Plastic) items made of non-biodegradable material as well as biodegradable/compostable bags, and authorized certain officers of different Departments to compound any offence against the violators;

AND WHEREAS, it has come to the notice of the Government that the widespread use of polyethylene terephthalate (PET) water bottles, especially smaller ones up to 500 milliliter (ml) size, has led to significant environmental concerns due to their potential for littering. The increasing littering caused by excessive use of small PET water bottles is becoming a visible challenge. The used PET water bottles, when improperly disposed of, contribute to pollution, harm the state's fragile ecosystems and tarnish its reputation as tourism destination.

NOW THEREFORE, in view of the State's commitment to environmental protection, the Governor, Himachal Pradesh in continuation of the Notification dated 21st January, 2025 and in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 3-A of the H.P. Non- Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, is pleased to order that the use of PET water bottles (size up to 500 ml) by Government Departments, Boards, Corporations, other State Government Organizations in their all indoor official meetings, conferences, events etc. as well as in Himachal Pradesh Tourism Development Corporation (HPTDC) hotels and the private hotels in the State will be prohibited. They will adopt sustainable alternatives, such as, glass bottles, water

dispensers/kiosks or steel containers. All Government organizations primarily the Department of Environment, Science Technology & Climate Change, Tourism Department, Education Department, Urban Development Department and the HP State Pollution Control Board shall carry out IEC activities for discouraging the use of small plastic PET water bottles in public places. The Department of Environment, Science Technology & Climate Change `and the HP State Pollution Control Board shall take effective measures to further improve the recycling of Plastic (PET) water bottles.

The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to direct that the officers already authorized to compound the offences committed under the Act *ibid*, sum of penalty specified for compounding of offences and other terms & conditions vide above referred notification dated 21st January, 2025 shall remain unchanged.

The ban on use of the small PET water bottles will be effective from 1st June, 2025, in the public interest, so that the Government Organizations including HPTDC hotels and the private hotels may dispose of their stocks and no financial loss is caused to them.

By Order,

Prabodh Saxena
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. STE-F(4)-1/2017-L Dated: Shimla-2, 29-03-2025.

Copy forwarded to the followings for information and necessary action to:

1. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Private Secretaries to the Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh.
4. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
5. All the Divisional Commissioners of Himachal Pradesh.
6. All Heads of Department of Himachal Pradesh.
7. All the Deputy Commissioners of Himachal Pradesh.
8. The Director, Deptt. Environment, Sci., Tech.&CC, U.S Club, Shimla-1.
9. The Member Secretary, H.P. State Pollution Control Board, New Shimla-9.
10. The Addl.LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.
11. The Commissioners/Executive Officer, Municipal Corporations/Municipal Councils in Himachal Pradesh.
12. Guard file.

29-03-2025

(Sat Pal Dhiman)
Addl. Secretary (Env., Sci. Tech.&CC) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621874

हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन

संख्याः एस.टी.आई–एफ(4)–1/2017–लूज तारीखः शिमला–2, 29 मार्च, 2025

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3(क) की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूडा–कचरा (नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2023 की धारा 2 के खण्ड (ड0ड0) में यथा विनिर्दिष्ट 'जीव अनाशित सामाग्री' की संशोधित परिभाषा के अनुसरण में, समसंख्यांक अधिसूचित तारीख 21, जनवरी, 2025 को अनाशित कूड़ा–कचरा से बने कतिपय एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) मदों के साथ जीव नाशित खाद बनाने योग्य बैग पर प्रतिबंध लगाया गया है और विभिन्न विभागों के कतिपय अधिकारियों को अतिक्रमणकारियों के विरूद्व अपराधों का शमन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

और सरकार के ध्यान में यह आया है कि पॉलीथीन टेरेफ्थैलेट (पी.ई.टी.) विशेषता 500 मिलीलीटर (एम.एल.) आकार तक छोटी जल की बोतलों के व्यापक प्रयोग से उनके छिडके जाने हेतु सक्षमता के कारण प्रयुक्त पर्यावरणीय कठिनाइयां उत्पन्न हुई है छोटी पी.ई.टी. जल की बोतलों के अत्याधिक के प्रयोग के कारण बढ़ाता छिड़काव व्यापक चुनौती बन गया है। प्रयोग की गई जल की बोतलें जब अनपयुक्त रूप से नष्ट की जाती है तो वे प्रदूषण को बढ़ावा देती है, राज्य के नाजुक ईको प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है और इसकी पर्यटन स्थल के रूप में मान–सम्मान को हानि पहुंचाती है।

अतः पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्वता के अवलोकन में, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उपरोक्त अधिसूचना तारीख 21 जनवरी, 2025 के अनुक्रमण में और हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूडा–कचरा अधिनियम, 1995 की धारा 3 (क) की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश देते है कि सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, अन्य राज्य सरकार के संगठनों द्वारा उनकी सभी आंतरिक अधिकारिक बैठकों, सम्मेलनों, कायक्रमों आदि के साथ–साथ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच.पी.टी.डी.सी.) के होटलों और राज्य प्राईवेट होटलों में पी.ई. टी. जल की बोतलें (500 मिली लीटर तक के आकार) का उपयोग प्रतिषिद्व रहेगा। वे टिकाऊ विकल्प जैसे कांच को बोतलें जल के डिस्पेंसर/कियोस्क या स्टील के कंटेनर अपनाएगें। समस्त सरकारी संगठन मुख्य रूप से पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन

विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड सार्वजनिक स्थान में छोटी प्लास्टिक पी.ई.टी. जल की बोतलों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए आई.ई.सी. गतिविधियां चलाएगें। पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्लास्टिक (पी.ई.टी.) जल की बोतलों के पुनश्चक्रमण को और बेहतर बनाने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह और निर्देश देते है कि पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन दिए गए अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों, अपराधों के शमन के लिए निर्दिष्ट दण्ड की शस्ति और अन्य निबंधन और शर्तें तारीख 21 जनवरी, 2025 की अधिसूचना के अनुसार अपरिवर्तित रहेंगी।

छोटी पी.ई.टी जल की बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध 1 जून, 2025 से जनहित में प्रभावी रहेगा ताकि सरकारी संगठन, जिनमें एच.पी.टी.डी.सी. होटल तथा प्राईवेट होटल सम्मिलित हैं अपने स्टॉक का निपटान कर सकें तथा उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि कारित न हो।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना
मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीखः शिमला–2 29–03–2025.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
2. प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
3. निजि सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
4. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
5. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शिमला–1
9. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हि0प्र0 न्यू शिमला–9
10. सहायक विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
11. समस्त आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद हिमाचल प्रदेश ।
12. संरक्षण नस्ति।

29-03-2025

(सतपाल धीमान)
अतिरिक्त सचिव (पर्यावरण,वि0 प्रौ0 एवं ज0प0)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष संख्याः 0177–2621874